

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

21 / 2020
20-2-2020

बुन्दू खॉ पुत्र श्री बदरुद्दीन शेख जाति मुसलमान निवासी सोप तहसील उनियारा जिला
टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14-10-2019 मिसल नम्बर
700 / 2019

उपरिथित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 1-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है०, वाके ग्राम शोप की वारानी भूमि पर पुख्ता बाउन्ड्री बना कर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 1000/रुपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जाँच किये एवं अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विधान एवं तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने वर्तमान में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि पर अकिमण नहीं किया है, ओर न ही पुख्ता निर्माण कर रखा है। पटवारी हल्का ने किसी रंजिश् के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध झूठी शिकायत करते हुए उक्त गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी ओर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सच्चाई की जाँच किये कार्यवाही करते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया है। अपीलान्ट



जिला कलेक्टर
टोंक




निर्णय से पूर्व सुने बिना एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है एवं उसके द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है, वाके ग्राम शोप की बरानी भूमि पर पुख्ता बाउन्ड्री बना कर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 64/18 निर्णय दिनांक 15-11-2018 से बेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट के की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि किस्म बरानी खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.01 है, वाके ग्राम शोप पर पुख्ता बाउन्ड्री बना कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 64/18 दिनांक 15-11-2018 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अपीलान्ट ने स्वयं अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है तथा दिनांक 2-3-2020 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी पक्का निर्माण करना स्वीकारा है एवं कब्जा छोड़ देने का निवेदन किया है, किन्तु नायब तहसीलदार सोप से कब्जे के सम्बन्ध में मंगवाई गई रिपोर्ट में नायब तहसीलदार सोप ने अपने पत्र क्रमांक 734 दिनांक 24-7-2020 से रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें अपीलान्ट बुन्दू खॉ पुत्र श्री बदरुद्दीन शेख जाति मुसलमान निवासी सोप द्वारा बाउन्ड्रीवाल(पक्की चार दिवारी) बना कर अतिक्रमण कर रखा होना वर्तमान में यथावत बताया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 14-10-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

